न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 33/अपील/2025 (GCMS No. 2025/74)	23.06.2025	08.12.2025

1. हेमराज आ. रमेशचन्द जाति बैरवा नि.नया बरधा तहसील तालेडा
2. भोजराज आ. रमेशचन्द जाति बैरवा नि.नया बरधा तहसील तालेडा
3. मोतीशंकर आ. रमेशचन्द जाति बैरवा नि.नया बरधा तहसील तालेडा
4. शान्तिबाई पत्नी रमेशचन्द जाति बैरवा नि.नया बरधा तहसील तालेडा

– अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री सुरेश कुमार वर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1, 2 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 81 दिनांक 05.01.1983 ग्राम नयाबरधा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण परगना अधिकारी बून्दी के आदेश कमांक 1119/राज./82 दिनांक 12.07.1982 की पालना में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 33/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2025/74 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

जिला कलक्टर; बून्दी

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि आराजी खसरा नं. 207 रकबा 8 बीघा 07 बिस्वा वाकेग्राम नयाबरधा तत्कालीन तहसील बून्दी में स्थित थी, जो कजोड आ. शंकरया कौम चमार के खाते में दर्ज थी। जिसके पुराने ख.नं. 294/1 रकबा 8 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा नं. 297 रकबा 02 बिस्वा थे। खातेदार कजोड नाऔलाद फोत हुआ और कजोड़ अपीलांटस के दादा मथुरालाल के काका थे, जो मथुरालाल जी के पास रहते थे। उनकी भूमि पर मथुरालाल जी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा था। इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अपीलांटस के दादा मथुरालाल खातेदार कजोड की मृत्यु के बाद द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी बने और मथुरालाल की मृत्यु के बाद अपीलांट के पिता रमेशचन्द वारिस हुए और रमेशचन्द की मृत्यु के बाद अपीलांटस बतौर द्वितीय श्रेणी के वारिस के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे है। इसकी जानकारी भूमिधारी तहसीलदार तालेडा को रही है। अपील विषयक आराजी को खातेदार कजोड द्वारा छोटा माली नाम के व्यक्ति को रहन, बेचान नहीं किया गया और न ही कब्जा सुपुर्द किया गया, फिर भी उक्त आशय का नोट दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 81 तस्दीक कर दिया। इस संबंध में अपीलांटस द्वारा राजस्व न्यायालय की पत्रावलिया व दायरा रजिस्टर का मुआयना किया लेकिन विस्तृत तौर पर मुआयना करने पर भी कोई दस्तावेज रेकार्ड रूम बून्दी में नहीं मिला और न ही ऐसा कोई आदेश किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया। फिर राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आराजी को गलत तथ्य अंकित कर सिवायचक सरकार दर्ज करने का नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांक 05.01.1983 को खोल दिया गया है, जो न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग है। राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व कजोड व अपीलांट के दादा व पिता को सुनवाई बाबत कोई विधिवत नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही उनको सुना गया। अपीलांटस को अपील विषयक आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक होने की जानकारी पटवारी हल्का से माह फरवरी,2025 को होने पर राजस्व रिकार्ड का निरीक्षण किया एवं नकलें प्राप्त की गई। दिनांक 15.05.2025 को प्राप्त नकल नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तरकरण सं.81 से संबंधित कोई पत्रावली व दायरा रजिस्टर में अपील विषयक आराजी बाबत कोई कार्यवाही दर्ज नहीं होना मिला और न उक्त आशय का सक्षम न्यायालय का कोई आदेश होना पाया गया। इस कारण उक्त आदेश बिना उपयुक्त आदेश के तस्दीक किये जाने से प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है, जिसको किसी भी समय न्यायालय में चुनौती देकर अपास्त किया जा सकता है। अपीलांटस अपने काश्तकारी के कार्य में

जिला कलेक्टर, बून्दी

सोमवार

अत्यधिक व्यस्त हो जाने से अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर सकें। दिनांक 15.06.2025 को अपीलांटस ने अपने अभिभाषक जी से सम्पर्क करके अपील तैयार करवाई और आज दिनांक 18.06.2025 को बिना किसी देरी के यह अपील प्रस्तुत की गई। न्यायहित में विलम्ब की अवधि को कन्डोन किए जानेके लिए अलग से दफा 5 भारतीय अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा आर.आर.डी. 2002 पेज 65 एवं आर.आर.डी. 2019 पेज 215 की नजीरें प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 81 दिनांक 05.01.1983 की नकल प्राप्त होने पर दिनांक 15.05.2025 को जानकारी होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध 42 साल बाद अपील पेश किये जाने का कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। अपीलांटस के पिता रमेश आ0 मथुरालाल निवासी नयाबरधा के नाम से जुवारा काश्त की जमा रसीद सं. 0013 दिनांक 24.07.17 पत्रावली पर पेश की गई है, जिससे प्रकट है कि उक्त आराजी सिवायचक दर्ज रेकार्ड होने की जानकारी अपीलांटस को वर्ष 2017 से ही रही है, इसके बावजूद अपीलांटस द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी करके निर्धारित समय सीमा में अपील पेश नहीं की गई। जिससे यह अपील मियाद बाहर होने से बिना मेरिट पर सुने कानूनन मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। पेरोकार सरकार द्वारा आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण परगना अधिकारी, बून्दी के आदेश क्रमांक 1119/राज./82 दिनांक 12.07.1982 की पालना में तस्दीक किया गया। अपीलांटस द्वारा उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी जाकर उक्त आदेश की पालना में दर्ज किये गये नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश की गई, जबकि उक्त नामान्तरकरण सं.81 परगना अधिकारी, बून्दी का मूल आदेश नहीं है। ऐसे में अपील विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांटस गुणावगुण पर भी सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे प्रकट है कि ग्राम नयाबरधा की आराजी खसरा सं. 207 रकबा 8 बीघा 07 भूमि का कृषक कजोड़ आ.शकरया दर्ज रेकार्ड थी। परगना अधिकारी बून्दी द्वारा पारित आदेश सं. 1119/राज./82 दिनांक 12.07.1982 की पालना में तहसीलदार बून्दी द्वारा नामान्तरकरण सं.18 दिनांक 05.01.1983 को तस्दीक किया जाकर उक्त भूमि सिवायचक दर्ज की गई। उक्त नामान्तरकरण से असंतुष्ठ होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील पेश की गई है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 05.01.1983 को परगना अधिकारी बून्दी के आदेश क्रमांक 1119/राज./82 दिनांक 12.07.1982 की पालना में तस्दीक किया गया। जिसकी अपील अपीलांटस द्वारा दिनांक 23.09.2025 को इस न्यायालय में पेश की गई। अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.05.25 को होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांटस द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपने दादा एवं पिता का हक अधिकार निहित होना माना है, तो उनके देहान्त के बाद अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा अपने पिता रमेश द्वारा उक्त भूमि पर जुवारा काश्त किये जाने से राजकोष में जमा करवाई राशि की रसीदें पेश की गई है। जिससे उक्त भूमि वर्ष 2017 में सिवायचक दर्ज रेकार्ड होने की जानकारी होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। इस कारण अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की पहले से ही जानकारी होने की धारणा की जाती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में दिनांक 15.05.2025 से पूर्व उनके दादा, पिता एवं स्वयं उनके कब्जे काश्त में बताई गई वादग्रस्त भूमि के सिवायचक दर्ज रेकार्ड हो जाने की 42 वर्षो तक जानकारी नहीं करने का क्या कारण रहा है, इस संबंध में प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अपीलांटस के प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के अवलोकन से भलीभांति प्रकट है कि प्रार्थना पत्र में अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने में हुये विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून विलम्ब का विश्वसनीय एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांटस मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 08.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी